संख्या-2149/15-7-16(39)/97

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र,2 समुदाय
प्रीति विहार,नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई,1997

विषय: स्टडी हाल विपुल खण्ड-2 गोमती नगर लखनऊ को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टडी हाल विद्युत खण्ड-2 गोमती नगर,लखनऊ को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित के अधीन आपत्ति नहीं है ।

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से/बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

Principal
Study Hall
Vipul Khand-2,
Gomti Nagar,
LUCKNOW

Manager
Study Hall
Vipul Khand-2,
Gomti Nagar,
LUCKNOW

..2/-

﴾6﴿ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

﴾7﴿ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

﴾8﴿ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

﴾9﴿ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा :-

﴾1﴿ विद्यालय में सभी प्रशिक्षित अध्यापिकायें कार्यरत होंगी ।

﴾2﴿ विद्यालय में कोई भवन शुल्क नहीं लिया जायेगा और प्रवेश शुल्क कम लिया जायेगा ।

﴾3﴿ विद्यालय में शिक्षकों तथा कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान अनुमन्य किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

﴾अशोक गांगुली﴿
संयुक्त सचिव ।

पृ0सं0 2149﴾1﴿/15-7-16﴾39﴿/97 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

2- मंडलीय सं0 शिक्षा निदेशक लखनऊ ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ ।

4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ ।

5- प्रबन्धक स्टडी हाल [redacted] खण्ड-2 गोमती नगर लखनऊ ।

आज्ञा से,

﴾अशोक गांगुली﴿
संयुक्त सचिव ।

Principal
Study Hall
Vipul Khand-2,
Gomti Nagar,
LUCKNOW

Manager
Study Hall
Vipul Khand-2,
Gomti Nagar,
LUCKNOW